

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 430/2018

अनवान : -

1. केसर सिंह पुत्र भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. मानसिंह पुत्र भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. बादु देवी पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 2. नारायण सिंह
 3. श्रवण सिंह
 4. मोती सिंह
 5. राजू सिंह
- पि0 अमरसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
 7. एसबीआई शाखा गोरखाना तहसील नोहर।
 8. बलवीर सिंह पुत्र भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 9. चावली पुत्री भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील-फौत
 - 9/1. रिछपालसिंह पुत्र स्व0 चावली जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 - 9/2. मोहनसिंह पुत्र स्व0 चावली जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 - 9/3. हुक्मसिंह पुत्र स्व0 चावली जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 - 9/4. कमलाकंवर पुत्री चावली जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 - 9/5. सुमन कंवर पुत्री चावली जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 - 9/6. चूसा पुत्री चावली जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 10. प्रेम पुत्री भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 11. विमला पुत्री भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 12. किशोरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 13. राजवीर सिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री विजयसिंह कड़वासराम अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 11/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण के पिता भैरुसिंह व वादीगण की चाची राधादेवी की तरफ से एक वाद स0 123/2018 अनवानी राधा बनाम उदयसिंह आदि वाद इश्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था उक्त दावा में प्रतिवादीगण अमरसिंह ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि वादग्रस्त भूमि 282 की 20 बीघा 10 बिस्वा प्रतिवादीगण की सन 1969 में खरीद की गई हैं तथा उक्त काउंटर क्लेम दिनांक 05.10.1988 को डिक्री कर दिया तथा उक्त निर्णय व डिक्री के खिलाफ दिनांक 05.10.1988 को अपील प्रस्तुत की तथा राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ की अदालत में अपील स0 27/1999 बअनवानी राधादेवी बनाम उदयसिंह आदि स्वीकार की जाकर श्रीमान अदालत के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.10.1988 को अपने निर्णय व दिनांक 22.10.2001 बहाल रखा है तथा वादग्रस्त भूमि 282 की 20 बीघा 10 बिस्वा यानि 5.1870 हैक्ट भूमि के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हैं। राधादेवी पत्नी रामसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर दिनांक 26.05.2022 को फौत हो चुकी है तथा मृतक राधा पत्नी रामसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान नही होने से उसके रामसिंह के भाई भैरुसिंह के व लड़किया यानि वादीगण स0 1 व 2 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण स0 8 ता 11 छहो रामसिंह व उसकी पत्नी राधा के नजदीकी वारिस होने की वजह से हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम सन 1956 के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मुताबिक द्वितीय श्रेणी के क्लेम (IV) के अनुसार सबसे नजदीकी वारिस है। आराजी खाता संख्या 276/252 की 5.1870 हैक्ट कुल 10.5250 हैक्ट वाके रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के मृतक राधा की जगह वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 छहो खातेदार काशतकार है तथा खाता स0 277/264 के ख0न0 292 की 14.6110 हैक्ट भूमि वाके रोही मौजा खुईया तहसील नोहर में मृतक राधा के नाम दर्ज 373-1/2 हिस्सा भूमि के वादीगण संख्या 1 ता 2 व तरतीबी प्रतिवादीगा संख्या 2 ता 6 बहिब के मुशतरका खातेदार काशतकार है तथा खसरा न0 282 की 5.1870 हैक्ट भूमि के मुताबिक निर्णय दिनांक 05.10.88 एसडीओ नोहर तथा निर्णय दिनांक 22.10.2001 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ व बैयनामा दिनांक 29.04.1969 के आधार पर उक्त खसरा 282 की 5.1870 हैक्ट भूमि के प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 बहिब खातेदार काशतकार है तथा उक्त भूमि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा खाता स0 277/264 के ख0न0 292 की 14.6110 हैक्ट वाके राही मौजा खुईया में प्रतिवादी स0 1 के 51 हिस्सा, व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 के 357 हिस्सा गलत दर्ज तथा उक्त भूमि खसरा न0 292 की 14.6110 हैक्ट हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई हक हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि के वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 खातेदार काशतकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया गया की वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व 8 व 9/1 से 9//6 व 10 ता 13 संयुक्त खानदान के सदस्य है। पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त भूमि वाके रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 287/277 के ख0न0 292 की 14.6110 हैक्ट में से 373-1/2 हिस्सा जो मृतक राधा पत्नी रामलाल उर्फ रामसिंह के दर्ज है में मुताबिक राजीनामा वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादीगण संख्या 8 बहिब के खातेदार काशतकार रहेंगे तथा इसी प्रकार मुताबिक राजीनामा खाता स0 287/277 के ख0न0 292 की 14.6110 हैक्ट में से 408 हिस्सा वाके रोही मौजा खुईया तहसील नोहर जो प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 5 व 12, 13 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड ह में वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 8 बहिब के खातेदार काशतकार रहेंगे तथा उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 9/1 ता 9/6 व 10, 11 कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा मुताबिक राजीनामा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 5 व 12, 13 तथा मृतक राधा का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर तथा इनके हिस्से को मुताबिक राजीनामा वादीगण संया 1 व 2 तथा प्रतिवादी स0 8 के हिस्सा में समायोजित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा उक्त खाते के अन्य हिस्सेदार व खातेदारान का हक हिस्सा यथावत रखा जावे तथा रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 286/276 के ख0न0 189 की 5.3380 हैक्ट व ख0न0 282 की 5.1870 हैक्ट कुल 10.5250 हैक्ट में मुताबिक राजीनामा इसी खाता स0 286/276 के ख0न0 189 की 5.3380 हैक्ट के वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 बहिब के खातेदार काशतकार रहेगे तथा उक्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व 9/1 से 9/6 व 10 ता 13 को कोई हक हिस्सा मुताबिक राजीनामा नहीं होगा तथा मृतक राधा पत्नी रामलाल उर्फ रामसिंह का नाम कलमजन किया जावे एवं रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 286/276 के ख0न0 282 की 5.1870 हैक्ट भूमि में मुताबिक राजीनामा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व 4, 5 13, 13 छहों मुशतरका खातेदार काशतकार रहेंगे जिसमें प्रतिवादी न0 1 अकेली .671

हैक्ट की व प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 1.129 हैक्ट तथा प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 1.129 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.129 हैक्ट, प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 बहिब 1.129 हैक्ट के मुश्तरका खातेदार रहेंगे। वादीग्रस्त भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9/1 से 9/6 व 10, 11 का मुताबिक राजीनामा कोई हक हिस्सा नहीं रहेंगा तथा उक्त वादग्रस्त भूमि में से वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी सं0 8 तथा मृतक राधा का नाम कलमजन किया जावे। उक्त राजीनामा से हम दोनों पक्षकार पूर्णतया सहमत है। मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नहीं है।

प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा भी वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है अर्थात् वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खसरा न0 189, 282 की कुल 10.5250 हैक्ट भूमि राधा पत्नी रामलाल, केशरसिंह, मानसिंह, बलवीरसिंह के नाम दर्ज है तथा ख0न0 292 की 14.6110 हैक्ट भूमि राधा पत्नी रामलाल, केशर सिंह, मानसिंह, भैरा, बाधुदेवी, नारायणसिंह श्रवणसिंह, मोतीसिंह, राजूसिंह के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा उभयपक्षों के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता सं0 287/277 के ख0न0 292 की 14.6110 हैक्ट में से 373-1/2 हिस्सा जो मृतक राधा पत्नी रामलाल उर्फ रामसिंह के दर्ज है में वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादीगण संख्या 8 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता सं0 287/277 के ख0न0 292 की 14.6110 हैक्ट में से 408 हिस्सा वाके रोही मौजा खुईया तहसील नोहर जो प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 5 व 12, 13 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 8 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 5 व 12, 13 तथा मृतक राधा का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर तथा इनके हिस्से को वादीगण संया 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं0 8 के हिस्सा में समायोजित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा उक्त खाते के अन्य हिस्सेदार व खातेदारान का हक हिस्सा यथावत रहेगा तथा रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता सं0 286/276 के ख0न0 189 की 5.3380 हैक्ट व ख0न0 282 की 5.1870 हैक्ट कुल 10.5250 हैक्ट में खाता सं0 286/276 के ख0न0 189 की 5.3380 हैक्ट के वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृतक राधा पत्नी रामलाल उर्फ रामसिंह का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता सं0 286/276 के ख0न0 282 की 5.1870 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व 4, 5, 12, 13 छहों को मुश्तरका खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है जिसमें प्रतिवादी न0 1 अकेली .671 हैक्ट की व प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 1.129 हैक्ट

तथा प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 1.129 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.129 हैक्ट, प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 बहिब 1.129 हैक्ट के मुश्तरका खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि में से वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी सं0 8 तथा मृतक राधा का नाम कलमजन किया जाता है।। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 430/2018

अनवान : -

1. केसर सिंह पुत्र भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. मानसिंह पुत्र भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. बादु देवी पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 2. नारायण सिंह
 3. श्रवण सिंह
 4. मोती सिंह
 5. राजू सिंह
- पि० अमरसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
 7. एसबीआई शाखा गोरखाना तहसील नोहर।
 8. बलवीर सिंह पुत्र भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 9. चावली पुत्री भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील-फौत
 - 9/1. रिछपालसिंह पुत्र स्व० चावली जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 - 9/2. मोहनसिंह पुत्र स्व० चावली जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 - 9/3. हुक्मसिंह पुत्र स्व० चावली जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 - 9/4. कमलाकंवर पुत्री चावली जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 - 9/5. सुमन कंवर पुत्री चावली जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 - 9/6. चूसा पुत्री चावली जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 10. प्रेम पुत्री भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 11. विमला पुत्री भैरुसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 12. किशोरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।
 13. राजवीर सिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी खुईया तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 430 सन 2018 निर्णय दिनांक - 11/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स० 287/277 के ख०न० 292 की 14.6110 हैक्ट में से 373-1/2 हिस्सा जो मृतक राधा पत्नी रामलाल उर्फ रामसिंह के दर्ज है में वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादीगण संख्या 8 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता स० 287/277 के ख०न० 292 की 14.6110 हैक्ट में से 408 हिस्सा वाके रोही मौजा खुईया तहसील नोहर जो प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 5 व 12, 13 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 8 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 5 व 12, 13 तथा मृतक राधा का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर तथा इनके हिस्से को वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी स० 8 के हिस्सा में समायोजित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया

al

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जावे तथा उक्त खाते के अन्य हिस्सेदार व खातेदारान का हक हिस्सा यथावत रहेगा तथा रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स० 286/276 के ख०न० 189 की 5.3380 हैक्ट व ख०न० 282 की 5.1870 हैक्ट कुल 10.5250 हैक्ट में खाता स० 286/276 के ख०न० 189 की 5.3380 हैक्ट के वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृतक राधा पत्नी रामलाल उर्फ रामसिंह का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स० 286/276 के ख०न० 282 की 5.1870 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व 4, 5 12, 13 छहों को मुश्तरका खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है जिसमें प्रतिवादी न० 1 अकेली .671 हैक्ट की व प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 1.129 हैक्ट तथा प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 1.129 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.129 हैक्ट, प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 बहिब 1.129 हैक्ट के मुश्तरका खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि में से वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी स० 8 तथा मृतक राधा का नाम कलमजन किया जाता है।। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर